पूर्ण बेंच

आर एस नरूला, सी जे, भूपिंदर सिंह ढिल्लों और एम आर शर्मा, जे जे; के समक्ष

जिले सिंह, आदि,—याचिकाकर्ता।
बनाम।

हरियाणा राज्य आदि, उत्तरदाता।

1973 की सिविल रिट संख्या 3573

18 सितंबर, 1974।

पंजाब ग्राम, पंचायत अधिनियम (1953 का टीवी यथा संशोधित और हरियाणा राज्य *पर लागू) - धारा 13-ख और* 13-0(1) (ग) - *एक समय में पंचायत के सभी पंचों का चुनाव - क्या किसी एक चुनाव याचिका द्वारा प्रश्न में बुलाया जा सकता है - निर्धारित प्राधिकारी - क्या ऐसी याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार है - यदि आवश्यक हो तो।*

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1953 के तहत यथा संशोधित और हरियाणा राज्य पर लागू होता है, पंचायत के सभी पंच चुनाव की एक ही संयुक्त प्रक्रिया में चुने जाते हैं, और यह निर्वाचित पंच होते हैं जो (वैधानिक सह-विकल्प के बाद) अपने सरपंच का चुनाव स्वयं में से करते हैं। किसी भी नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति के मामले में पूरे चुनाव का परिणाम प्रभावित होता है, और यही कारण है कि किसी भी नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति के प्रमाण पर चुनाव को रद्द कर दिया जाता है, हालांकि नामांकन पत्र की अवैध या अनुचित स्वीकृति के मामले में चुने गए व्यक्ति के चुनाव पर भौतिक प्रभाव के प्रमाण के बिना इसे अलग नहीं किया जाता है। जहां सभी पंच एक समय में चुने जाते हैं, वहां पूरे चुनाव पर सवाल उठाने के लिए एक ही चुनाव याचिका सक्षम है। अधिनियम की धारा 13-0 (1) (सी) के तहत निर्धारित प्राधिकारी के पास ऐसी याचिका पर विचार करने का अधिकार है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र को अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया था, सभी पंचों के चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। तथापि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए और निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधनों की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए, पंच के रूप में चुने गए सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाना अनिवार्य है। (पैरा 9, 12 और 14)।

माननीय न् यायमूर्ति एम द्वारा भेजा गया मामला। आर। *शर्मा को कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 1 नवंबर, 1973* को एक पूर्ण पीठ के समक्ष *पेश किया गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री आर. एस. नरूला, माननीय न्यायमूर्ति श्री भूपिंदर सिंह ढिल्लों और माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा की पूर्ण पीठ ने अंततः 18 सितंबर 1974 को मामले का फैसला किया था।*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, दिनांक 6 अगस्त, 1973 (अनुलग्नक 'ख') के आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हुए और इस रिट याचिका के विनिश्चय तक आक्षेपित आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाते हुए प्रमाण पत्र या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति का रिट जारी किया जाए।

याचिकाकर्ताओं के *वकील आरएस मित्तल और एमएल बंसल*

उत्तरदाता 1 और 2 *के लिए* श्री डी एस लांबा, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता (हरियाणा)।

प्रतिवादी नंबर 3 की ओर *से सुरिंदर सरूप और रामेश्वर पुरी, वकील*

निर्णय

आर.एस. नरूला, सी.जे.- कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न जिसने मेरे विद्वान भाई शर्मा, जे द्वारा इस रिट याचिका को पूर्ण पीठ को संदर्भित करना आवश्यक बना दिया है, वह यह है कि क्या पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, **1952** (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 13-बी के तहत एक चुनाव याचिका, जैसा कि हरियाणा में संशोधित और लागू किया गया है, एक विशेष पंचायत के लिए एक समय में चुने गए सभी छह पंचों के चुनाव पर सवाल उठाता है क्या वह सक्षम है, और क्या अधिनियम की धारा 13-सी के तहत निर्धारित प्राधिकारी के पास गुण-दोष के आधार पर ऐसी याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार है। जिन परिस्थितियों ने इस प्रश्न को जन्म दिया है, वे न तो विवाद में हैं और न ही जटिल हैं। याचिकाकर्ता संख्या 1 से 4 और प्रतिवादी **4** और 5 को 29 जून, 1971 को हुए ग्राम पंचायत के चुनाव में ग्राम पंचायत, चिरासमी, तहसील और जिला सोनीपत के पंच चुने गए थे। निर्वाचित पंचों ने याचिकाकर्ता नंबर 5 को चुनाव द्वारा महिला पंच के रूप में चुना। **उपर्युक्त सात पंचों** वाली पंचायत ने तब याचिकाकर्ता **नंबर 1** को अपने सरपंच के रूप में चुना। प्रतिवादी संख्या 3 ने 28 जुलाई, 1971 को निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष चुनाव याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता 1 से 4 और प्रतिवादी 4 और 5 (29 जून, 1971 को चुने गए सभी पंच) को प्रतिवादी 1 से 6 के रूप में सूचीबद्ध किया। अन्य उम्मीदवार जो चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें हार गए थे (सहित

याचिकाकर्ता नं. **5) उत्तरदाताओं** 7 से 11 के **रूप में शामिल किए गए थे**। रिट याचिका के लिए अनुलग्नक ए प्रतिवादी संख्या 3 की चुनाव याचिका की एक प्रति है। एकमात्र आधार जिस पर **सभी** पंचों (याचिकाकर्ता **1** से 4 और प्रतिवादी **4** और 5) के चुनाव को शून्य घोषित **करने की मांग की** गई थी, वह यह था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने **अवैध रूप से और गलत तरीके से चुनाव याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया** था । **चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा चुनाव याचिका** के प्रतिवादियों की सुरक्षा और लागत के लिए **100 रुपये की राशि जमा की गई थी**।

(2) 6 अगस्त, 1973 के अपने आदेश (रिट याचिका के अनुलग्नक 'बी') द्वारा, अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकारी श्री एसवाई कुरैशी, आईएएस प्रथम श्रेणी, सोनीपत ने चुनाव याचिका (इस निष्कर्ष पर कि चुनाव याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था) को अनुमति दे दी और निर्वाचित पंचों (आदेश में प्रतिवादी के रूप में वर्णित) के चुनाव को रद्द कर दिया। 3 अक्टूबर, 1973 को दायर इस रिट याचिका में निर्धारित प्राधिकारी के निर्णय और आदेश की वैधता और शुद्धता (अनुलग्नक 'बी') को छह में से चार पंचों द्वारा लागू किया गया था, जिन्हें मूल रूप से 29 जून, 1971 को इस तरह चुना गया था।

(3) जब याचिका मेरे विद्वान भाई शर्मा, जे के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो रिट-याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि सभी छह पंचों के चुनाव को चुनौती देने के लिए एक भी चुनाव याचिका *अमरीक सिंह वरयाम सिंह* बनाम बी *मामले में मेरे फैसले के मद्देनजर सक्षम नहीं थी।एस. मलिक और अन्य,* (1) जिसका अनुसरण बाद में शर्मा जे. ने स्वयं *राम बख्श और अन्य* बनाम अन्य में *किया था।श्री जे पी नारंग और अन्य* (2)। जिन अन्य आधारों पर विहित प्राधिकारी के आदेश को खारिज किया गया था, उन पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था, लेकिन उन्हें इसका समर्थन नहीं मिला। इसलिए, तर्कों के वे आधार हमारे सामने निर्णय के लिए जीवित नहीं रहते हैं।

(4) जहां तक पहले और मुख्य आधार का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील श्री सुरिंदर सरूप द्वारा मेरे विद्वान भाई के समक्ष यह तर्क देने की मांग की गई थी कि *अमरीक सिंह के मामले* (1) (सुप्रा) में मेरे द्वारा निर्धारित कानून पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए। *शांति* **बनाम** *हरियाणा राज्य और अन्य* **(3)** विशेष रूप से इसलिए क्योंकि *अमरीक सिंह का* मामला (1) और *मांगे राम का मामला* इसी अधिनियम से उत्पन्न हुआ था। इसलिए, शर्मा ने इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजना उचित समझा।उपर्युक्त परिस्थितियों में यह रिट याचिका हमारे समक्ष सुनवाई के लिए आई।

1. ए.आई.आर. 1966 पी.बी. 344.
2. 1972 के सीडब्ल्यू संख्या 2013 का निर्णय 28 जुलाई, 1972 को लिया गया।
3. 1972 पी.एल.जे., 405.

(5) जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस याचिका का भाग्य अब किस निर्णय पर निर्भर करता है, इस निर्णय के शुरुआती वाक्य में उठाया गया एकमात्र प्रश्न है। इस स्तर पर योजना और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संगत उपबंधों के बारे में

विहंगम दृष्टिकोण रखना लाभदायक हो सकता है ताकि जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें बुलाया गया है, उसका निर्णय सुगम हो सके।

(6) ग्राम पंचायत" को अधिनियम की धारा 3 (g) में "धारा 5 के तहत गठित पंचायत" के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 3 के खंड (i) में "पंच" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ अन्य लोगों के बीच अधिनियम के तहत निर्वाचित या नियुक्त ग्राम पंचायत का सदस्य है, और इसमें एक सरपंच शामिल है। अधिनियम की धारा 4 से शुरू होकर धारा 13 के साथ समाप्त होने वाले अध्याय 2 *में, अन्य बातों के साथ-साथ,* ग्राम पंचायतों की स्थापना और गठन से संबंधित है। धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक सभा क्षेत्र में नाम से एक ग्राम पंचायत की स्थापना कर सकती है। उस धारा की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे घूंसों की संख्या होगी जो पांच या नौ से अधिक नहीं होंगे जैसा कि सरकार कतिपय संगत निर्धारित कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करे। उस उपधारा में आगे कहा गया है कि ऐसे पंचों का चुनाव सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्धारित रीति से किया जाएगा, बशर्ते कि यदि कोई महिला किसी ग्राम पंचायत के पंच के रूप में निर्वाचित नहीं होती है, तो निर्वाचित पंच सभा के सदस्य के रूप में निर्धारित रीति से एक महिला पंच का सह-चयन करेंगे जो अन्यथा पंच के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो। धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक के तहत पंच के रूप में सहयोजित प्रत्येक महिला को उस धारा की उप-धारा (3) द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में मतदान करने का अधिकार दिया गया है। उपधारा (4) में कहा गया है कि पंचों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा और निर्धारित तरीके से प्रत्यक्ष मतदान होगा और सबसे अधिक वैध वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या को निर्वाचित माना जाएगा। धारा 5 की उप-धारा (4) के परंतुक में उल्लिखित विभिन्न आकस्मिकताएं हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। न ही हम धारा 5 की उप-धारा (5) के तहत निर्धारित पंच बनने के लिए योग्यता या अयोग्यता से चिंतित हैं। उपधारा (6) में सरपंच के निर्वाचन का प्रावधान है

पंचों के चुनाव के बाद निर्धारित तरीके से आपस में मुक्कों द्वारा, और महिला पंच का सह-विकल्प, यदि कोई हो। धारा 9 की उप-धारा (2) सरपंच और सभी पंचों को पांच साल के कार्यकाल का जीवन देती है। इसके विपरीत सरकार के निर्देशों के अभाव में, निवर्तमान सरपंच या पंच पांच साल की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी ने शपथ नहीं ले ली। तथापि, पंच या सरपंच की आकस्मिक रिक्ति (पंच या सरपंच की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन द्वारा) को निर्धारित तरीके से भरने का प्रावधान धारा 10 द्वारा किया गया है और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति उस कार्यकाल के अनिर्धारित भाग के लिए पद धारण करने के लिए प्राधिकृत है जिसके लिए वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ था, अन्यथा पद पर बना रहेगा।

(7) अधिनियम के अध्याय 2 में चुनावों के संबंध में विवादों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। धारा 13-ए में परिभाषाएं शामिल हैं। धारा 13-बी में कहा गया है कि "इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत" चुनाव याचिका के अलावा सरपंच या पंच के किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। धारा 13-ग की उपधारा (1) और (2) जिसमें चुनाव याचिकाओं की प्रस्तुति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, निम्नलिखित शब्दों में हैं:-

(1) सभा का कोई सदस्य, निर्धारित रीति से विहित प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, -

(a) जहां 12 अगस्त, 1960 के बाद और 27 सितंबर, 1962 से पहले, बाद की तारीख के तीस दिनों के भीतर एक चुनाव आयोजित किया गया था; नहीं तो

(b) जहां 27 सितंबर, 1962 के बाद परिणाम की घोषणा की तारीख के तीस दिनों के भीतर चुनाव आयोजित किया जाता है;

धारा 13-ओ की उपधारा (1) में विनिदष्ट एक या अधिक आधारों पर निर्धारित प्राधिकारी को सरपंच या पंच के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के विरुद्ध लिखित में चुनाव याचिका प्रस्तुत करना।

(2)चुनाव याचिका को निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया माना जाएगा-

(a) जब इसे निर्धारित प्राधिकारी को सौंप दिया जाता है-

1. याचिका दायर करने वाले व्यक्ति द्वारा; नहीं तो

2.याचिका दायर करने वाले व्यक्ति द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा; नहीं तो

(b) जब इसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है और निर्धारित प्राधिकारी को दिया जाता है।

धारा 13-डी चुनाव याचिका की सामग्री से संबंधित है। धारा 13-ई चुनाव याचिका प्राप्त होने पर निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करती है। यह निर्धारित प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह चुनाव याचिका को खारिज कर दे यदि निर्धारित सुरक्षा निर्धारित तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाती है या यदि याचिका धारा 13-सी में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है। बेशक, चुनाव याचिकाकर्ता उक्त प्रावधान में उल्लिखित दो आधारों में से किसी एक पर अपनी याचिका खारिज होने से पहले सुनवाई के अवसर का हकदार है। धारा 13-छ की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक चुनाव याचिका का विचारण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन मुकदमों के विचारण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लागू प्रक्रिया के अनुसार यथाशीघ्र निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अधिनियम में अगला प्रासंगिक प्रावधान धारा 13-0 है जिसमें चुनावों को रद्द करने के आधार शामिल हैं। इसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह कहा गया है कि यदि विहित प्राधिकारी की राय है (क) कि निर्वाचित व्यक्ति अपने निर्वाचन की तारीख को योग्य नहीं था या अधिनियम के अधीन निर्वाचित होने के लिए अयोग्य था; (ख) निर्वाचित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचित व्यक्ति या उसके एजेंट की सहमति से कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है; या (ग) कि कोई नामांकन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है; या (घ) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक यह निर्वाचित व्यक्ति से संबंधित है, इसके खंड (घ) के उपखंड (i) से (iii) में उल्लिखित विभिन्न मामलों में से किसी से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। धारा 13-0 की उप-धारा (1) के अनुसार, विहित प्राधिकारी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को निरस्त करेगा। धारा 13-0 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि जब उप-धारा (1) के तहत चुनाव रद्द कर दिया गया है, तो एक नया चुनाव आयोजित किया जाएगा।

(8) अधिनियम की धारा 101 के तहत बनाए गए हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 में से, हमारे प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक एकमात्र नियम 46 है जो निम्नानुसार है: –

"(1) चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय, या उससे पहले, याचिकाकर्ता, या याचिकाकर्ता, जब एक से अधिक याचिकाकर्ता होते हैं, तो प्रत्येक याचिकाकर्ता को कोषागार या उप-कोषागार में एक सौ रुपये की राशि नकद या समान मूल्य के सरकारी वचन पत्र में जमानत के रूप में जमा करनी होगी, उन सभी लागतों के लिए जो उसके द्वारा देय हो सकती हैं।

(2) यदि याचिकाकर्ता, जिसके द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट जमा राशि अपनी चुनाव याचिका वापस ले लेती है और किसी अन्य मामले में चुनाव याचिका पर

अंतिम आदेश पारित होने के बाद, जमाराशि, ऐसी राशि के बाद जिसे लागत, शुल्क और व्यय के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है, उस याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाएगी जिसके द्वारा यह किया गया था, और यदि चुनाव याचिका की जांच के दौरान याचिकाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके द्वारा ऐसी कोई भी जमाराशि, यदि उसके द्वारा की जाती है, तो ऐसी लागतों की राशि जो भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है, कटौती के बाद, उसके कानूनी प्रतिनिधि को वापस कर दी जाएगी।

(3) जमा राशि की वापसी के लिए सभी आवेदन उपायुक्त को किए जाएंगे, जो इन नियमों के अनुसार उस पर आदेश पारित करेंगे।"

(9) याचिकाकर्ता मुख्य रूप से अमरीक सिंह के मामले (1) (सुप्रा) *में मेरे फैसले पर निर्धारित प्राधिकारी के आक्षेपित आदेश (याचिकाकर्ता 1 से 4 और प्रतिवादी 4 और 5 के चुनाव को रद्द करना) को रद्द करने के अपने दावे को आधार* बनाते हैं । हालांकि, उस मामले के तथ्य और परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं और वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ व्यावहारिक रूप से कुछ भी समान नहीं है। इसमें निर्धारित कानून स्पष्ट रूप से वर्तमान विवाद पर लागू नहीं होता है। *अमरीक सिंह* के मामले (1) में अपने फैसले के शुरुआती हिस्से में उस मामले में निर्णय की मांग करने वाले प्रश्न को प्रस्तुत करते समय, मैंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि प्रश्न एक सरपंच के चुनाव और ग्राम पंचायत के विभिन्न पंचों के चुनाव पर सवाल उठाने वाली एक एकल याचिका की वैधता और विचारणीयता से संबंधित है, जो पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का 4) के तहत एक ही दिन में आयोजित किया गया था। एक ओर पंजाब पर लागू अधिनियम और दूसरी ओर हरियाणा पर लागू अधिनियम के बीच एक बुनियादी अंतर यह है कि जहां पंजाब में सरपंच का चुनाव पंचों से अलग और स्वतंत्र चुनाव है, वहीं हरियाणा में ऐसा नहीं है जहां सभी पंच चुनाव की एक ही संयुक्त प्रक्रिया में चुने जाते हैं। और यह निर्वाचित पंच हैं जो (वैधानिक सह-विकल्प के बाद, यदि कोई हो) अपने सरपंच का चुनाव करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

इसलिए, पंजाब के मामले में इस संबंध में निर्धारित कानून को हरियाणा के मामले में उसी प्रस्ताव की प्रयोज्यता के लिए एक प्राधिकरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, खासकर जब यह एक सरपंच और विभिन्न पंचों का चुनाव था, जिस पर *अमरीक सिंह के मामले* में निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष एक समग्र याचिका द्वारा सवाल उठाया गया था। (1) और जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि एक याचिका दो अलग-अलग चुनावों पर सवाल उठाने के लिए विचार योग्य नहीं थी। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं 1 से 4 और उत्तरदाताओं 4 और 5 का चुनाव एक समग्र चुनाव था, और इसमें दो अलग-अलग चुनाव शामिल नहीं थे। पंच के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों में से उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया जिन्होंने चुनाव की एक ही प्रक्रिया में सबसे अधिक वोट हासिल किए। *अमरीक सिंह के मामले* (1) (सुप्रा) में सरपंच पद के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की एक अलग जांच में, अमरीक सिंह और एक

अन्य के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए थे। इसी तरह चार पंचों के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच में निर्वाचन अधिकारी ने कुछ अन्य नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया था। अमरीक सिंह ने निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष जिस आधार पर दोनों चुनावों को रद्द करने की मांग की थी, वह यह था कि सरपंच के पद के लिए उनके नामांकन पत्रों को खारिज करना और पंच के रूप में चुनाव के लिए अन्य के नामांकन पत्रों को खारिज करना अवैध था। प्रतिवादियों (जो रिट याचिका का विरोध कर रहे थे) की वापसी में रिट याचिका के खिलाफ कानूनी आपत्तियां इतने शब्दों में ली गई थीं: –

> (i)रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि सरपंच और पंचों के चुनाव में कुछ भी समान नहीं था, सिवाय इसके कि यह उसी दिन आयोजित किया गया था जैसे संसदीय और राज्य विधानसभा सीटों के चुनाव एक ही दिन होते हैं, और इसलिए, निर्धारित प्राधिकारी का आदेश सही है;

(ii) जहां तक सरपंच के निर्वाचन का संबंध है, विचाराधीन निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य वाला निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि जहां तक पंचों के निर्वाचन का संबंध है, यह एक बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है; और

(iii)सरपंच के रूप में चुने जाने के लिए किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र ों को गलत तरीके से अस्वीकार या स्वीकार करना किसी भी तरह से पंच के चुनाव को प्रभावित नहीं करता है और *इसके विपरीत।*

(10) इन तीनों में से कोई भी विचार तत्काल मामले में उत्पन्न नहीं होता है। *अमरीक सिंह के मामले* (1) में प्रतिवादियों के वकील द्वारा दबाए गए चौथे आधार पर विद्वान ों ने भरोसा किया है

वर्तमान याचिकाकर्ताओं के वकील, क्योंकि चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा 100 रुपये की राशि जमा करने वाली सुरक्षा के केवल एक सेट से संबंधित आपत्ति दोनों मामलों के लिए समान है। हालांकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अधिनियम के तहत जमा की जाने वाली सुरक्षा की राशि के प्रावधान (नियम 46 के तहत) याचिकाकर्ताओं की संख्या के साथ भिन्न होते हैं, न कि उत्तरदाताओं की संख्या के साथ। इस मामले पर और अधिक टाल-मटोल किए बिना, ऊपर बताए गए तथ्यों से मुझे यह स्पष्ट है कि *अमरीक सिंह के मामले* (1) में की गई किसी भी टिप्पणी का मामले पर कोई असर नहीं है।

(11) मेरे विद्वान भाई शर्मा, जे. ने राम बख्श और अन्य *(2) (सुप्रा) की याचिका को स्वीकार करते हुए,* केवल अमरीक सिंह के मामले *(1) में मेरे फैसले का पालन किया* । इसलिए, यह निर्णय अपने आप में मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। न ही *मांगे राम के मामले* (3) (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के लिए मेरे द्वारा तैयार किया गया निर्णय, जिस पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया है, हमारे सामने सवाल के फैसले में मदद करता है। मांगे राम के मामले (3) में आर. एन. मित्तल, जे. और मैंने जिस प्रश्न का निर्णय लिया था, वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक संयुक्त याचिका की विचारणीयता से संबंधित था, और इसका समग्र चुनाव याचिका की वैधता के सवाल से कोई लेना-देना नहीं था। यह उस निर्णय के पैराग्राफ 4 में विषय की चर्चा से स्पष्ट है, जिसमें आपत्ति को देखा गया था और निम्नलिखित शब्दों में निर्णय लिया गया था: —

> "उन्होंने (उस रिट याचिका में प्रतिवादियों के वकील) सबसे पहले तर्क दिया है कि यह याचिका पार्टियों के गलत होने से ग्रस्त है क्योंकि पराजित सरपंच और चुनाव के लिए हारे हुए उम्मीदवार को एक महिला पंच के रूप में एक अलग पदों के लिए दो अलग-अलग चुनावों पर सवाल उठाने के लिए रिट याचिका दायर करने में एक साथ शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पहली नजर में यह तर्क काफी आकर्षक प्रतीत होता है। हालांकि, इस मामले के तथ्यों पर, तर्क में अधिकांश आकर्षण इस तथ्य से खो जाता है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने दोनों चुनावों को उन आधारों पर लागू किया जो दोनों चुनावों में से प्रत्येक के लिए समान हैं। हालांकि श्री मित्तल (रिट याचिकाकर्ताओं के वकील) ने सुझाव दिया कि अगर हमें लगता है कि दो याचिकाकर्ताओं द्वारा एक संयुक्त याचिका दायर नहीं की जा सकती है, तो हम इस मामले की परिस्थितियों में इस याचिका को मांगे राम याचिकाकर्ता नंबर 1 के दावे तक सीमित मानते हुए इस पर विचार कर सकते हैं, सुन सकते हैं और फैसला कर सकते हैं, और उस आधार पर याचिका को खारिज नहीं कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह नहीं मांग रहे थे

यह रास्ता उनके कहने पर अपनाया जा रहा है। विवाद के गुण-दोष पर वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि भले ही हम याचिकाकर्ता नंबर 1 के दावे पर अकेले विचार करें और फैसला करें, हमें सह-चयनित महिला पंच के चुनाव की वैधता के खिलाफ आग्रह किए गए सभी आधारों की वैधता पर फैसला सुनाना होगा, जिससे दूसरा याचिकाकर्ता पीड़ित है। श्री हुड्डा ने *अमरीक सिंह वरयाम सिंह* बनाम बी *मामले में मेरे फैसले पर अपनी इस आपत्ति के समर्थन में भरोसा किया है।एस मलिक और अन्य'* (1)। *अमरीक सिंह वरयाम सिंह* (1) के मामले में असली आपत्ति सरपंच और पंच के चुनाव पर सवाल उठाने के लिए दायर की गई एक ही चुनाव याचिका के खिलाफ थी। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैंने कहा था कि अधिनियम की धारा 13-ख और 13-ग तथा निर्वाचन नियमावली के नियम 44 और 45 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक भी समग्र चुनाव याचिका दायर नहीं की जा सकती। हमारे सामने जो मामला है, उसमें हम दो अलग-अलग चुनावों पर सवाल उठाने के लिए एक रिट याचिका दायर करने में दो स्वतंत्र व्यक्तियों के एक साथ शामिल होने की वैधता से चिंतित हैं। हालांकि, हम इस तथ्य को नहीं खो सकते हैं कि न तो संयुक्त याचिका ने किसी भी प्रतिवादी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा किया है, न ही इसने किसी भी तरह से इस मुकदमे बाजी में शामिल मुद्दों को जटिल बनाया है। विद्वान वकील द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम यह सोचने के इच्छुक हैं कि इस मामले के अजीब तथ्यों को देखते हुए और दोनों याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह किए जाने वाले सामान्य आधारों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह याचिका याचिकाकर्ताओं की बहुविधता या गलतफहमी के कारण खारिज की जा सकती है।

मांगे राम के मामले (3) में डिवीजन बेंच के फैसले में *उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफ के अवलोकन से यह स्पष्ट है* कि उस याचिका में प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिवादियों ने अमरीक सिंह *के मामले (1) में मेरे फैसले की सहायता के लिए कहा* , लेकिन तब भी इसमें अंतर को इंगित किया गया था। इसलिए, न तो *अमरीक सिंह का मामला* (1), और न ही *मांगे राम का मामला* (3) हमारे सामने इस मुद्दे को तय करने के लिए प्रासंगिक है।

(12) इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं के वकील ने अधिनियम की धारा 13-बी में "सरपंच या पंच के चुनाव" शब्द का उपयोग किए जाने पर जोर दिया, और तर्क दिया कि कोई भी याचिका जो एक से अधिक पंचों के चुनाव पर सवाल उठाती है, उसे अधिनियम के अध्याय 2-ए के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और इसलिए, न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए

उस अल्प आधार पर निर्धारित प्राधिकारी। धारा 13-ख में प्रयोग किए गए बहुवचन अभिव्यक्तियों पर नहीं, बल्कि एकवचन पर जोर दिया गया था। यह तर्क पंजाब सामान्य खंड अधिनियम की धारा 11 (2) के प्रावधान के मद्देनजर पूरी तरह से भ्रामक है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब के सभी अधिनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, एकवचन में शब्दों में बहुवचन शामिल होगा और इसके *विपरीत।* वकील हमें धारा 13-बी के विषय या संदर्भ में सामान्य खंड अधिनियम की धारा 11 (2) के प्रतिकूल कुछ भी नहीं बता सके। इसके अलावा, इस मामले के तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि यदि चुनाव-याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र ों को अवैध रूप से खारिज कर दिया गया था, तो 29 जून, 1971 को चुने गए सभी छह पंचों के पूरे चुनाव को अधिनियम की धारा 13-ओ (एल) (सी) के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था, और यह हमारे सामने सवाल के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। उक्त चुनाव में चुने गए व्यक्तियों को चुनाव याचिका में शामिल किया गया था या नहीं, या क्या उन सभी के चुनाव को रद्द करने के लिए एक विशिष्ट अनुरोध चुनाव याचिका में किया गया था या नहीं। किसी भी नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति के मामले में पूरे चुनाव का परिणाम प्रभावित माना जाता है, और यही कारण है कि किसी भी नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति के प्रमाण के आधार पर चुनाव को रद्द कर दिया जाता है, हालांकि नामांकन पत्र की अवैध या अनुचित स्वीकृति के मामले में चुने गए व्यक्ति के चुनाव पर भौतिक प्रभाव के प्रमाण के बिना इसे अलग नहीं किया जाता है। असम उच्च न्यायालय के फैसले में ओस कांता बरूआ बनाम असम उच्च न्यायालय के फैसले में कुछ भी नहीं कहा *गया* है। *कुशाराम नाथ और अन्य* (4) (जो मामला एक दोहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है) उस निष्कर्ष की ओर इशारा करता है जो याचिकाकर्ता उस फैसले से निकालने के लिए गए थे। मंगा और अन्य मामले में इस न्यायालय (आई.डी. दुआ, जे. और मैं) की खंडपीठ का निर्णय । *सोहलू और अन्य* (5) नामांकन पत्रों को गलत तरीके से स्वीकार करने का मामला था, जैसा कि बताया गया है, नामांकन पत्रों की गलत या अनुचित अस्वीकृति के मामले से बहुत अलग है। नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति या अनुचित स्वीकृति के मामले के बीच बुनियादी अंतर को *वशिष्ठ नारायण शर्मा* बनाम ड्यू *चंद्र और अन्य (6)* और सुरेंद्र नाथ खोसला और अन्य *मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप के फैसलों में सबसे स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है।एस दलीप सिंह और अन्य* **(7)।**

4. 15 चुनाव कानून रिपोर्ट 65.
5. 1965 पी.एल.आर. 953
6. ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 513.
7. **ए आईआर: 1957 एस.सी. 342:**

(13) इस न्यायालय का एकल पीठ का निर्णय (सूरी, जे, जैसा कि वह तब था) *परभू और अन्य बनाम इलाका मजिस्ट्रेट (निर्धारित प्राधिकरण), मोहिंदरगढ़, और अन्य* (8) में मांगे **राम के मामले** में *निर्धारित कानून* से संबंधित था, जो, जैसा कि पहले ही **कहा गया है,** एक रिट याचिका में पार्टियों के गलत होने और उनकी कार्रवाई के कारणों से संबंधित है। और हमारे सामने जो मुद्दा है, उससे उसका कोई लेना-देना नहीं था । अभियोजन पक्ष के **वकील श्री डी. एस. लांबा** ने इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश (पी. डी. शर्मा, जे. जैसा कि वह उस समय थे) *के बिशन सिंह* बनाम *न्यायालय मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया।अंबा दत्त और अन्य* (9) ने तर्क दिया कि पंजाब पंचायत समितियों और जिला परिषद अधिनियम, 1961 के तहत चुनाव में चुने गए सभी सदस्यों का चुनाव, जिस पर कुछ नामांकन पत्र अनुचित रूप से खारिज कर दिए गए थे, को रद्द किया जाना चाहिए। मैं पहले ही इस बात पर ध्यान दे चुका हूं।

(14) इस मामले के इस दृष्टिकोण में, हम विहित प्राधिकारी के आदेश में कोई दोष नहीं पा रहे हैं, जिसमें उन सभी छह उम्मीदवारों के चुनाव को रद्द करने के लिए चुनाव याचिका की विचारणीयता के खिलाफ प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया था, जिन्हें एक ही चुनाव याचिका में पंच के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था। *वशिष्ठ नारायण शर्मा के मामले* (6) और *सुरेंद्र नाथ खोसला के मामले* (7) (सुप्रा) के साथ अधिनियम की धारा 13-0 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, सभी छह निर्वाचित पंचों के चुनाव को इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर निर्धारित प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था कि चुनाव-याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र अनुचित रूप से खारिज कर दिए गए थे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए और निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए, चुनाव-याचिकाकर्ता के लिए 29 जून, 1971 को पंच के रूप में चुने गए सभी व्यक्तियों को शामिल करना अनिवार्य था। उन्हें सभी निर्वाचित पंचों के चुनाव को रद्द करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी क्योंकि संभवतः यह नहीं कहा जा सकता है कि नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति ने एक पंच के चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया है और किसी अन्य के चुनाव को नहीं। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, चुनाव याचिका को उचित रूप से तैयार किया गया था और निर्धारित प्राधिकारी का आक्षेपित निष्कर्ष सही है।

(15) इसलिए, यह याचिका विफल होनी चाहिए और तदनुसार लागत के साथ खारिज की जाती है।

बी.एस. ढिल्लों, जे- मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश के फैसले के साथ सम्मानजनक सहमति में हूं।

एम.आर. शर्मा, जे-मैं भी सहमत हूं।

जन्म। *एस.जी*.

(8) 1973 पी.एल.जे 1 105.
(9) 1967 वर्तमान एलजे (पीबी एंड एचआर) 12;

सी.एच.डी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हिसार, हरियाणा